



1. यह देखते हुए कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार एक व्यापक सामाजिक और आर्थिक अपराध है जो भारत के सुशासन और आर्थिक विकास को कमजोर करते हैं और हमारे समाज के नैतिक ताने-बाने को खराब करते हैं।
2. यह देखते हुए कि भारत के भीतर सभी कंपनियों और प्रमुख संगठन सभी रूपों एवं अभिव्यक्तियों में रिश्वत एवं भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए एक समान जिम्मेदारी साझा करते हैं।
3. यह मानते हुए कि इस क्षेत्र में प्रगति प्राप्त करने के लिए न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि व्यक्तिगत कंपनी या सरकारी विभाग के स्तर पर भी निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।
4. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) और अन्य गैर-सरकारी संगठनों के साथ-साथ एमएसटीसी इंडिया जैसे व्यापारिक संगठनों के प्रयासों का स्वागत करते हैं।
5. एमएसटीसी सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख संगठन है जो भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों में संलग्न है। एमएसटीसी अपने व्यवसाय उच्चतम नैतिक मानकों के अनुसार संचालित करता है। यह कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बोलीदाताओं, ठेकेदारों और वस्तु और सेवाओं के विक्रेताओं (प्रतिपक्षों) के साथ व्यापार करता है। एमएसटीसी नैतिक और भ्रष्टाचार मुक्त व्यावसायिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। एमएसटीसी अपने सभी प्रतिपक्षों के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है और उनके साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से व्यवहार करता है।
6. सत्यनिष्ठा समझौता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा विकसित एक उपकरण है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी कंपनी या सरकारी विभागों और उनके आपूर्तिकर्ताओं के बीच सभी गतिविधियों और लेनदेन को निष्पक्ष, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से संचालित किया जाए।
7. एमएसटीसी और टीआईआई ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के परामर्श से सत्यनिष्ठा समझौता कार्यक्रम विकसित किया है और एमएसटीसी इस कार्यक्रम को अपने संगठन के भीतर कार्यान्वित कर रहा है। एमएसटीसी और अन्य संगठनों में सत्यनिष्ठा समझौता कार्यक्रम को लागू करने में प्राप्त अनुभव के आधार पर इस कार्यक्रम की प्रभावशीलता में सुधार के लिए आगे विचार किया जा सकता है।
8. एमएसटीसी सत्यनिष्ठा समझौता कार्यक्रम को पूरे दिल से अक्षरशः इसमें निहित भावनाओं के साथ लागू करने में प्रतिबद्ध है।
9. टीआईआई इस संबंध में एमएसटीसी का समर्थन करने और सत्यनिष्ठा समझौता कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन और इसके उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए अपने साधनों के भीतर सलाह और संसाधन प्रदान करने का वचन देता है।
10. यदि एमएसटीसी और टीआईआई के बीच अखंडता संधि कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में मतभेद हैं, तो वे उन्हें बातचीत और चर्चा के माध्यम से हल करने का संकल्प लेते हैं। यदि ऐसे मतभेदों को हल नहीं किया जा सकता है तो कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को लिखित रूप में तीस दिन का नोटिस देकर इस समझौता ज्ञापन को समाप्त कर सकता है और इसके प्रभावी होने के बाद ही सार्वजनिक कर सकता है। यह समझौता ज्ञापन तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि उपरोक्त प्रावधान के अनुसार समाप्त नहीं किया जाता है।
11. सत्यनिष्ठा समझौता के कार्यान्वयन की वार्षिक समीक्षा की जाएगी।

एमएसटीसी लिमिटेड

-ह.-

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

5वीं मंजिल

225सी एजेसी बोस रोड,

कोलकाता-700020

फोन : 033 2287-0810

फैक्स : (033)2290-4294

ई-मेल : malaysengypta@mstcindia.com

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया

-ह.-

अध्यक्ष

बलवंतरे मेहता विद्या भवन

मस्जिद मोथ, ग्रेटर कैलाश पीटी - II

नई दिल्ली - 110 048

फोन : 011-2922 4519

फैक्स : 2922 8081/2646 0825

ई-मेल : tiiindia@gmail.com